

(तेरह) याचिकाकर्ताओं की ओर से आगे तर्क दिया गया है कि मध्यस्थ केवल तभी अधिकार क्षेत्र ग्रहण करता है जब उसने विपरीत पक्ष को नोटिस जारी किया है और मध्यस्थ के पास पक्ष को सुने बिना अंतरिम आदेश पारित करने की कोई शक्ति नहीं है। इस तर्क के समर्थन में रण सिंह बनाम भारत मामले में इस न्यायालय की पूर्ण पीठ के निर्णय पर भरोसा किया गया है। *गंधार कृषि सहकारी सेवा समिति, गंधार (3)*, और *मंडी आदमपुर मार्केटिंग सोसाइटी लिमिटेड* बहुत। *राम सरूप (4)*। *रण सिंह के मामले (सुप्रा)* में, पूर्ण पीठ के समक्ष प्रश्न 1953 के नियमों के उल्लंघन में मध्यस्थ द्वारा दिए गए एक फैसले की वैधता के बारे में था। चूंकि विरोधी पक्ष को सुनवाई का कोई नोटिस नहीं दिया गया था, इसलिए निर्णय को अमान्य माना गया और निष्पादित किए जाने में असमर्थ माना गया।

< • सिविल कोर्ट का डिक्री। इस मामले का पालन *मंडी आदमपुर मार्केटिंग सोसाइटी लिमिटेड* में किया गया। (सुप्रा)। वर्तमान मामले में, मध्यस्थ के पास चुनाव सदस्यों के चुनाव पर रोक लगाने की कोई शक्ति नहीं थी। याचिकाकर्ताओं को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सदस्यों के रूप में चुना गया था और उनके चुनाव को केवल अधिनियम में प्रदान किए गए तरीके से रद्द किया जा सकता था। जब तक उनका चुनाव रद्द नहीं किया जाता था, तब तक वे पद पर बने रहे। प्रशासक की नियुक्ति के मामले में मध्यस्थ द्वारा दिए गए स्थगन आदेशों पर विचार नहीं किया जा सका। ऊपर देखे गए परिसर में, अधिनियम की धारा 26 (1) (डी) के तहत प्रशासक की नियुक्ति का आदेश अधिकार क्षेत्र से बाहर था।

(चौदह) ऊपर बताए गए कारणों के लिए, सीडब्ल्यूपी 483/1988 की भी अनुमति है। ऊपर उल्लिखित विभिन्न स्थगन आदेश और समिति के प्रशासक की नियुक्ति के अनुलग्नक पी16 को रद्द किया जाता है। हालांकि, इन सी मामलों में लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

पी. सी. जी.

एस. एस. कांग और जे. एस. सेखों, जे.जे. के सामने

हरियाणा राज्य- अपीलकर्ता, बनाम

मैसर्स जीवन जनरल मिल्स, कैथल, - प्रतिवादी। 18 मार्च 1982।

31 मई, 1989।

*हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1973 - धारा 27 (1) (ए) (ii) - रजिस्टर- ईद डीलर - किसी अन्य पंजीकृत डीलर को बिक्री करना - एसटी फॉर्म 22 प्रस्तुत करने वाला खरीद डीलर - उक्त बिक्री की वास्तविकता को चुनौती - ऐसी बिक्री पर कर बिक्री डीलर को कर लगाने के लिए बिक्री कर अधिकारियों की शक्ति।*

(तीन) ए.आई.आर. 1976 पंजाब और हरियाणा 94.

(चार) 1978 पी.एल.जे. 251.

और रूपकि मूल्यांकन प्राधिकारी बिक्री के लेन-देन की वास्तविकता से संतुष्ट था। उन्होंने इस तथ्य को स्वीकार कर लिया है। बिक्री की संख्या। वह इस निष्कर्ष पर भी नहीं पहुंचे हैं कि क्रय डीलरों द्वारा प्रस्तुत फॉर्म एसटी XXII में घोषणा वास्तविक दस्तावेज नहीं थे। परंतु के तहत, आकलन प्राधिकरण को कटौती की अनुमति देने के उद्देश्य से फॉर्म एसटी XXII में घोषणा प्रस्तुत करने पर पंजीकृत डीलरों को किसी भी बिक्री की वास्तविकता या अन्यथा की जांच करने की शक्तियों के साथ निवेश किया गया है। बिक्री की वास्तविकता की जांच करते समय, यह अन्य बातों के अलावा, वित्तीय स्थिति, खरीद करने की क्षमता, व्यवसाय की प्रकृति

और सीमा और पंजीकृत डीलरों द्वारा किए गए माल के बाद के निपटान पर भी जा सकता है, जिन्हें बिक्री उस घोषणा के खिलाफ की गई थी। यह स्पष्ट है कि जांच या पूछताछ का सहारा केवल तभी लिया जाएगा जब विचाराधीन बिक्री की वास्तविकता के बारे में कोई संदेह हो। हम इस बात पर जोर देते हैं कि किसी भी आदेश में इस बात पर भी कानाफूसी नहीं है कि कर निर्धारण प्राधिकरण के आदेशों में उल्लिखित क्रय डीलरों को डीलर द्वारा की गई बिक्री वास्तविक नहीं थी या कर से बचने के लिए विक्रेता और क्रय डीलरों के बीच कोई मिलीभगत थी। इसलिए डीलर पंजीकृत डीलरों को बिक्री में कटौती करने का हकदार था, जो फॉर्म एसटी एक्सएक्सआई में उनकी घोषणा पर स्पष्ट करता था कि माल को उसके कर योग्य कारोबार से पुनर्विक्रय के लिए खरीदा जा रहा था। उनके पक्ष में प्रश्न का उत्तर दिया गया। (पैरा 4, 5)

*बिक्री कर अधिकरण, हरियाणा द्वारा हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1973 की धारा 42 (1) के तहत पंजाब और हरियाणा के माननीय उच्च न्यायालय को न्यायाधिकरण के दिनांक 26 सितंबर, 1975 के आदेश से उत्पन्न कानून के निम्नलिखित प्रश्नों की राय के लिए संदर्भ/ 1974-75 की धारा 266*

*"पंजाब सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1948 की धारा 5 (1) के खंड (3) के साथ पढ़ी गई अनुसूची 'डी' के आलोक में, पिछली बिक्री के चरण में कपास के बीज के मामले में कर लगाने को निर्दिष्ट करते हुए, प्रतिवादी फर्म अपनी घोषणाओं पर क्रशिंग इकाइयों को ऐसे कपास के बीज की बिक्री में कटौती करने की हकदार है।*

एस. सी. मोहनता, ए.जी., (हरियाणा), एस. के. सूद, आई, डीएके (हरियाणा)। उनके साथ, याचिकाकर्ताओं के लिए।

एस. के. मित्तल और बीरिंदर सिंह, एडवोकेट, प्रतिवादियों के लिए।

आदेश

*सुहदेव सिंह कांग, जे।*

- (1) मैसर्स जीवन जनरल मिल्स, कैथल ने वर्ष 1972-73 के लिए चार तिमाही रिटर्न दाखिल किए, जिसमें 52,72,790.02 रुपये का सकल कारोबार दिखाया गया। जारी किए गए नोटिस के जवाब में मूल्यांकन, फर्म के एक भागीदार ने खाता पुस्तकों का उत्पादन किया। यह पाया गया कि प्रविष्टियों ने बिक्री को सही ढंग से दर्शाया और खाता पुस्तकों में कोई विसंगति नहीं पाई गई। सभी बिक्री की गारंटी दी गई थी। मूल्यांकन अधिकारी ने कहा कि "मेरे पास डीलर की खाता पुस्तिकाओं को त्यागने का कोई कारण नहीं है और इस तरह डीलर द्वारा लौटाया गया सकल टर्न ओवर मूल्यांकन के प्रयोजनों के लिए लिया गया था।
- (2) डीलर ने दावा किया; पंजाब सामान्य बिक्री कर अधिनियम की धारा 5 (2) (ए) (2) के तहत पंजीकृत डीलर को की गई बिक्री के लिए 49,670.38 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। मैसर्स मलिकपुरिया ऑयल मिल्स, कैथल को 1,03,042.50 रुपये मूल्य के कपास बीज की बिक्री के चार लेन-देन को छोड़कर इस दावे को स्वीकार कर लिया गया, जिसमें मैसर्स पूरन चंद सरवन कुमार, कैथल को 87 रुपये प्रति क्विंटल 676.46 रुपये का भुगतान किया गया। मैसर्स बाल राज रामेश्वर दास कैथल को 436.88 रुपये और मैसर्स को 9479.10 रुपये प्रति लीटर मिले। नई जगाधरी ऑयल मिल। इस संबंध में, यह देखा गया कि क्रेता पंजीकृत डीलर हैं लेकिन वे तेल के निर्माता हैं। इन डीलरों

को बेचे जाने वाले कपास के बीज घटिया गुणवत्ता के थे जो ज्यादातर पेराई उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाते हैं। इस प्रकार, उत्तरदाताओं के 3,76,608.31 रुपये के दावे को अस्वीकार कर दिया गया था और इन्हें डीलर के कर योग्य कारोबार में इस दलील पर शामिल किया गया था कि यह कपास के बीज का अंतिम विक्रेता था जिसका उपयोग पेराई उद्देश्यों के लिए किया गया था और कारखाने का मालिक कर के लिए उत्तरदायी था। परेशान होकर, डीलर ने अपील दायर की। उप आबकारी और कराधान आयुक्त (अपील) इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अपीलकर्ता को यह बताने का उचित अवसर नहीं दिया गया है कि कपास के बीज उपर्युक्त डीलरों को पुनर्विक्रय के लिए बेचे गए थे और मूल्यांकन प्राधिकारी यह निर्धारित करने के लिए उपलब्ध सामग्री के साथ क्रय डीलरों का सामना करने में विफल रहा कि उनके द्वारा खरीदे गए कपास के बीज बिक्री के लिए थे या खाद्य तेलों के निर्माण में उपयोग के लिए। यह भी देखा गया कि वास्तव में आकलन प्राधिकारी को सही स्थिति की पुष्टि करने के लिए क्रय डीलरों का सामना करना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। यदि क्रय करने वाले डीलर उपयोग और निर्माण के लिए कपास के बीज खरीदते हैं और पुनर्विक्रय के लिए नहीं, तो अपीलकर्ता-फर्म अंतिम विक्रेता होने के नाते कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगी। मामले के इस दृष्टिकोण में, उन्होंने उपर्युक्त आदेश को रद्द कर दिया और कपास के बीज की खरीद के बारे में खरीद डीलरों से आगे की जांच करने के लिए मामले को मूल्यांकन प्राधिकरण को भेज दिया, चाहे वह पुनः बिक्री के लिए था या निर्माण में उपयोग के लिए था और कर लगाने से पहले खरीद डीलरों से पूछताछ करने के बाद अपीलकर्ता का सामना भी किया जाना चाहिए। फिर भी असंतुष्ट डीलर ने बिक्री कर आयुक्त हरियाणा के समक्ष अपील की। इस अपील को स्वीकार कर लिया गया। यह किसके द्वारा तर्क दिया गया था?

- (3) अपीलकर्ता ने टिब्यूनल के समक्ष कहा कि कपास के बीज बेचते समय अपीलकर्ता को कानून द्वारा केवल यह संतुष्ट करने के लिए संलग्न किया गया था कि बिक्री पंजीकृत डीलर को की जा रही थी और खरीद डीलर ने फॉर्म एसटी-एक्सएक्सआईआई में वैध और वास्तविक घोषणा प्रस्तुत की थी जिसमें इसके तहत शामिल किया गया था कि खरीदे गए सामान फिर से बिक्री के लिए थे। यह बिक्री डीलर के लिए घोषणा में दिए गए बयान की शुद्धता पर सवाल उठाने के लिए नहीं था। यदि क्रय डीलर फार्म-XXII के तहत अपनी घोषणा में उन वस्तुओं को खरीदते समय गलत विवरण देता है जो बिक्री-कर के लिए उत्पाद शुल्क योग्य हैं तो अधिकारी ऐसे डीलर के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। अधिनियम में इसके लिए पर्याप्त प्रावधान थे। इस तर्क के समर्थन में मेसर्स *भीम कॉटन कंपनी बनाम आकलन प्राधिकरण, संगरूर और एक अन्य के मामले में इस न्यायालय का निर्णय* का हवाला दिया गया था, जिसमें इसे के तहत माना गया था >

"बेचने वाला डीलर दो शर्तों के प्रमाण पर अपने सकल कारोबार से कटौती का दावा कर सकता है, अर्थात्, जिस व्यक्ति को माल बेचा जाता है, उसके पास एक वैध

पंजीकरण प्रमाण पत्र होना चाहिए और फॉर्म एसटी एक्सएक्सआईआई में विवरण प्रस्तुत करने के बाद ऐसे खरीदार को सामान बेचा जाना चाहिए। याचिकाकर्ता-फर्म ने इन दोनों शर्तों को पूरा किया है। इन परिस्थितियों में, यह आकलन प्राधिकरण के लिए खुला नहीं था कि वह याचिकाकर्ता फर्म के मामले को फिर से खोले और इसके खिलाफ अतिरिक्त मांग पैदा करे।

यह भी आयोजित किया गया था,

"यदि खरीद-फर्म उसके द्वारा दिए गए घोषणा फॉर्म में उल्लिखित किसी भी शर्त का उल्लंघन करने का दोषी है, तो आकलन प्राधिकरण पंजाब सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1948 की धारा 5 (2) (ए) (2) के दूसरे परंतुक के तहत और अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अनुसार उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है।

इस तर्क को विद्वान ट्रिब्यूनल के पक्ष में पाया गया। उन्होंने कहा कि वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र के खिलाफ किए गए कपास के बीज की बिक्री पर और जहां खरीद डीलर द्वारा प्रदान किए गए फॉर्म एसटी एक्सएक्सआईआई यह इंगित नहीं करता है कि माल को फिर से बिक्री के अलावा अन्य उद्देश्य के लिए आवश्यक है, बेचने वाला डीलर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं था। तथापि, यह देखा गया कि विभागीय प्राधिकारी कर की वसूली के लिए क्रय डीलरों के विरुद्ध ऐसी कार्रवाई कर सकते हैं जो वे उचित समझते हैं।

- (4) हरियाणा सामान्य बिक्री कर, 1973 की धारा 42 के तहत आबकारी और कराधान आयुक्त, हरियाणा, चंडीगढ़ के माध्यम से राज्य द्वारा दायर एक आवेदन पर ट्रिब्यूनल ने निम्नलिखित प्रश्न तैयार किया और इसे हमारी राय के लिए प्रस्तुत किया:

पीठ ने कहा, 'पंजाब सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1948 की धारा 5 (1) के प्रावधान के खंड (3) के साथ पढ़ी गई अनुसूची 'डी' के आलोक में, जिसमें अंतिम बिक्री के चरण में कपास के बीज के मामले में कर लगाने का उल्लेख किया गया है, प्रतिवादी फर्म को अपनी घोषणाओं पर क्रशिंग इकाइयों को ऐसे कपास के बीजों की बिक्री में कटौती करने का अधिकार है।'

हरियाणा राज्य की ओर से पेश वकील एस. के. सूद ने तर्क दिया कि हालांकि एक डीलर के खिलाफ मूल्यांकन पंजाब सामान्य बिक्री कर के प्रावधानों के अनुसरण में तैयार किया गया था, लेकिन अधिनियम की धारा 68 में निहित निरसन और बचत प्रावधानों को देखते हुए ऐसे आदेशों के खिलाफ अपील, संशोधन आदि पर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निर्णय लिया जाना था। उन्होंने आगे तर्क दिया कि धारा 27 कर योग्य कारोबार को परिभाषित करती है और उप-धारा (एल) (ए) (ii) के प्रावधान में कहा गया है कि कटौती की अनुमति देने के उद्देश्य से मूल्यांकन प्राधिकरण वित्तीय स्थिति, खरीद करने की क्षमता, प्रकृति और व्यवसाय की सीमा के संदर्भ में किसी भी बिक्री या घोषणा

की वास्तविकता या अन्यथा की जांच कर सकता है। और बाद में पंजीकृत डीलर द्वारा माल का निपटान, जिसे बिक्री घोषणा के खिलाफ की गई दिखाई गई है। उन्होंने आगे आग्रह किया कि अधिनियम की धारा 1 के प्रावधानों के आधार पर, धारा 27 की उप-धारा (1) के खंड (ए) के उप-खंड (ii) के प्रावधान 1 मई, 1949 को लागू माने जाएंगे। परिणामस्वरूप, उप आबकारी और कराधान आयुक्त मामले को रिमांड पर लेने और मूल्यांकन प्राधिकारी को क्रय डीलरों का सामना करने और उनसे पूछताछ करने का निर्देश देने के लिए पूरी तरह से सक्षम थे कि क्या उनके द्वारा मैसर्स जीवन जनरल मिल्स लिमिटेड से खरीदे गए कपास के बीज का उपयोग तेल के निर्माण के लिए किया गया था और इसे फिर से बेचा नहीं गया था। श्री सूद के अनुसार, पूर्वोक्त परंतुक (iii) की उपस्थिति में, वर्तमान मामले में विक्रेता पंजीकृत डीलरों को कपास के बीज की बिक्री में कटौती करने का हकदार था, जो फॉर्म एसटी XXII में उनकी घोषणा के आधार पर घोषित किया गया था कि तिलहन को फिर से बिक्री के लिए खरीदा गया था। यहां तक कि अगर खरीद करने वाले डीलर पंजीकृत डीलर थे और उन्होंने फॉर्म एसटी-एक्सएक्सआई में घोषणा प्रस्तुत करके योग्य सामान खरीदा था कि सामान किसके लिए खरीदा गया था। पुनर्विक्रय के बाद आकलन प्राधिकारी इस मामले की जांच कर सकता है और वित्तीय स्थिति, खरीद करने की क्षमता, व्यवसाय की प्रकृति और सीमा और पंजीकृत डीलरों द्वारा माल के बाद के निपटान की जांच कर सकता है। हमें डर है कि हमारी राय के लिए पूछे गए सवाल के लिए श्री सूद का यह दृष्टिकोण सही नहीं है। इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर प्रश्न तैयार किया गया है और प्रस्तावित किया गया है। जैसा कि फैसले के पहले भाग में उल्लेख किया गया था, मूल्यांकन प्राधिकरण बिक्री के लेनदेन की वास्तविकता से संतुष्ट था। उन्होंने बिक्री के तथ्य को स्वीकार कर लिया था। वह इस निष्कर्ष पर भी नहीं पहुंचे हैं कि खरीद डीलरों द्वारा प्रस्तुत फॉर्म एसटी-एक्स2आई में घोषणा वास्तविक दस्तावेज नहीं थे। परंतुक के तहत, आकलन प्राधिकरण को कटौती की अनुमति देने के उद्देश्य से फॉर्म एसटी-XXII में घोषणा प्रस्तुत करने पर पंजीकृत डीलरों को किसी भी बिक्री की वास्तविकता या अन्यथा की जांच करने की शक्तियों के साथ निवेश किया गया है। बिक्री की वास्तविकता की जांच करते समय, यह अन्य बातों के अलावा, वित्तीय स्थिति, खरीद करने की क्षमता, व्यवसाय की प्रकृति और सीमा और पंजीकृत डीलरों द्वारा किए गए माल के बाद के निपटान पर भी जा सकता है, जिन्हें बिक्री उस घोषणा के खिलाफ की गई थी। यह स्पष्ट है कि जांच या पूछताछ का सहारा केवल तभी लिया जाएगा जब विचाराधीन बिक्री की वास्तविकता के बारे में कोई संदेह हो। हम इस बात पर जोर देते हैं कि किसी भी आदेश में इस बात पर कानाफूसी तक नहीं है कि कर निर्धारण प्राधिकारी के आदेशों में उल्लिखित क्रय डीलरों को डीलर द्वारा की गई बिक्री वास्तविक नहीं थी या कर चोरी के लिए विक्रेता और क्रय डीलरों

के बीच कोई मिलीभगत थी। कुछ इसी तरह की परिस्थितियों में, *चुन्नी लाल परशादी लालबनाम बिक्री आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ*<sup>2</sup> में अंतिम अदालत ने कहा:

"जब अपीलकर्ता, एक पंजीकृत डीलर, को पंजीकृत डीलरों को बिक्री के संबंध में मूल मूल्यांकन में छूट दी गई थी, जिन्होंने फॉर्म III-ए में आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था कि माल उसी स्थिति में पुनर्विक्रय के लिए था, तो मूल्यांकन प्राधिकरण के पास इस आधार पर मूल्यांकन को फिर से खोलने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था कि उसे जानकारी मिली थी कि खरीदने वाले डीलर ने माल का उपभोग किया था। विशेष रूप से जब अपीलीय प्राधिकरण ने माना था कि अपीलकर्ता, बिक्री डीलर की ओर से कोई मिलीभगत नहीं थी।

- (5) हमारा विचार है कि तथ्यों और मामले की परिस्थितियों के आधार पर, डीलर बिक्री में कटौती करने का हकदार है- पंजीकृत डीलरों को कपास के बीज फार्म एस.टी. XXII में उनकी घोषणा पर यह स्पष्ट करते हुए कि माल को उसके कर योग्य कारोबार से पुनः बिक्री के लिए खरीदा जा रहा था। हम संदर्भित प्रश्न का उत्तर हां में देते हैं।

.एस.सी.के.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

मयंक गुप्ता

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

चरखी दादरी

<sup>2</sup> (एक) (1986) 62 बिक्री कर मामले, 112

उजागर सिंह से पहले। J.

जोगिंदर कौर - याचिकाकर्ता, बनाम

YASHODA देवी और अन्य, — उत्तरदाता।

सिविल संशोधन सं. 1983 का 3392

६ अप्रैल। 1989.

सिविल प्रक्रिया संहिता ( 1908 का वी)- ओ. 21 आरएल 97 - डिक्री धारक यानी बेदखली आदेश के निष्पादन में कब्जे की मांग करना - बल्लिफ रिपोर्टिंग / कब्जे में तीसरा व्यक्ति - निष्पादन के लिए आपत्ति दर्ज करने वाला ऐसा व्यक्ति - ऐसी आपत्तियों की योग्यता।

और रूपयदि आपत्तिकर्ता विवादित संपत्ति को अपना होने का दावा करते हुए आपत्तियां दर्ज करना चाहती है, तो वह >0 के नियम 97 के तहत ऐसा कर सकती है। सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 21 और वह भी केवल तब, जब; डिक्री-धारक द्वारा संहिता के ओ. 21 के आर. 97 के उप-नियम (1) के तहत आवेदन किया जाता है और न्यायालय बाद के नियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार आवेदन पर निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ता है। संपत्ति का कब्जा प्राप्त करने में ■ और वह अदालत में एक आवेदन करता है, इस तरह के प्रतिरोध या बाधा की शिकायत करता है। इस मामले में, ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है कि कब्जे की डिलीवरी का विरोध किया गया था या बाधित किया गया था। (पैरा 5)

सीपीसी की धारा 115 के तहत फिरोजपुर के पीसीएस वरिष्ठ उप न्यायाधीश श्री जेके गोयल के 23 अगस्त, 1983 के आदेश में संशोधन के लिए याचिका दायर की गई है।

दावा: आपत्ति याचिका यू/ ओ 21, नियम 58 सी.पी.सी.

संशोधन में दावा: निचले स्तर के आदेश को उलटने के लिए।

सुधीर अग्रवाल अरुण जैन के वकील, याचिकाकर्ता के लिए वकील,

प्रतिवादी संख्या 10की ओर से मुनीश्वर पुरी, एडवोकेट। 1.

।एक। प्रतिवादी संख्या 10की ओर से के. सूद, एडवोकेट। 2.